UPJS010031402026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।</u>
उपस्थितः–अनुभव द्विवेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड–UP1637
<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1008/2026</u>

मंगल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी–ग्राम सकरार, थाना–सकरार, जिला–झाँसी।
----------अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ----------अभियोजक।

मु०अ०सं०–828/2020
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी।

1. थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी के मु०अ०सं०–828/2020, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **मंगल सिंह** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जरिये आत्मसमर्पण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में अभियोजन कथानक को अंकित करते हुए सारतः कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त धारा का कोई जुर्म नहीं किया है। उक्त वाद में विद्युत तारों की बरामदगी झूठी और गलत बताई गईहै। प्रार्थी/अभियुक्त कितनी दूरी से एल०टी० फाइन से तार जोड़े था अंकित नहीं है इससे घटना झूठी प्रतीत होती है। घटना का कोई साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह अपनी जमानते प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है और उसकी ओर से कोई जमानत प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में नहीं दिया गया है। प्रार्थी /अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष आज आत्मसमर्पण किया है और वह हिरासत में है। जमानत प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों पर अभियुक्त/प्रार्थी ने दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

3. प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए अग्रेतर यह तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क किया गया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा बिना किसी वैध संयोजन के पास की एल०टी० लाइन से दो कोर सफेद रंग की डोरी जोड़कर अपने घरेलू परिसर में विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते पाए जाने का आरोप है। अपराध अजमानतीय है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सोहेल सिद्दीकी अवर अभियंता ने थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में यह सूचना प्रस्तुत की है कि दिनांक –

30.05.2020 को समय लगभग 10.45 बजे उच्चाधिकारियों के आदेश के क्रम में मैं सोहेल सिद्दीकी अवर अभियंता सकरार झाँसी, उ०नि० सतीश कुमार द्विवेदी, हे०का० दयाराम,का० रामशरण यादव, का० मृदुल अग्निहोत्री प्रवर्तन दल झाँसी, मनीष बाबू संविदाकर्मी के साथ थाना सकरार क्षेत्र के विद्युत संयोजनों को चैक किया गया तो उपभोगकर्ता मंगलसिंह के परिसर का निरीक्षण किया गया तो उपभोगकर्ता द्वारा बिना किसी वैध संयोजन के पास की एल०टी० लाइन से दो कोर सफेद रंग की डोरी जोड़कर अपने घरेलू परिसर में विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते पाए गए। उपभोक्ता का यह कृत्य भा०वि०अ० 2003 की संशोधित अधिनियम 2007 की धारा 135 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर विद्युत चोरी में प्रयुक्त हो रहे दो कोर काली केबिल लंबाई लगभग 8 हाथ को सुविधानुसार कटवा कर एक सफेद कपड़े में रखकर, सिलकर, सर्व मुहर बनाया गया। मौके पर चैकिंग रिपोर्ट सं० –07/02 भरी गई। उपरोक्त व्यक्ति का जुड़ा भार 129 वाट घरेलू है। उपभोगकर्ता का यह प्रथम संज्ञानित अपराध है। अतः उपभोगकर्ता मंगल सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें।

7. उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा –135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–828/2020 थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में दिनांक 31.05.2020 को समय 16.47 बजे दर्ज कराई गयी। प्रकरण की विवेचना आरंभ की गयी। विवेचना उपरान्त अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध धारा –135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

8. अभियुक्त मंगल सिंह बिना किसी वैध संयोजन के पास की एल०टी० लाइन से दो कोर सफेद रंग की डोरी जोड़कर अपने घरेलू परिसर में विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते पाए जाने के कारण धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप है।

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना दर्शित नहीं की गई है।

10. मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में, प्रकरण के गुण दोष पर विचार किये बिना, न्यायालय जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मंगल सिंह** की ओर से मु०अ०सं०–828/2020, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– (बीस हजार रुपये) की धनराशि के **एक** प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्ध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–30.05.2026

(अनुभव द्विवेदी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1637)